

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम

—सह—

विशेष न्यायाधीश अनु०जाति/अनु० जनजाति (अत्याचार) अधि० सहरसा

परिवाद वाद संख्या—75 सी/2024

11.03.2026

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। परिवादी कन्हैया कुमार अनुपस्थित है। वाद दिनांक 27.01.2025 से शपथ पर बयान हेतु चला आ रहा है।

परिवादी द्वारा स्वयं के समर्थन में आज तक न तो शपथ पर बयान दर्ज कराया गया है और न ही किसी भी जॉच साक्षी को आज तक प्रस्तुत किया गया साथ अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित है कि दिनांक 29.07.2025 से परिवादी लगातार अनुपस्थित है। अतः स्पष्ट होता है कि इन्हें अब परिवाद से कोई अभिरुचि नहीं रह गयी है साथ ही इनके द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में प्रथम दृष्टया कोई भी आपराधिक मामला बनता हुआ प्रतीत नहीं होता है एवं प्रस्तुत परिवाद पत्र में अग्रिम कार्रवाई हेतु कोई पर्याप्त आधार भी नहीं है।

अतः प्रस्तुत परिवाद पत्र को धारा-203 द०प्र०स० के अंतर्गत **खारिज** किया जाता है। कॉ० लि० नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित
Ranjula Bharti
11/3/2026

सत्र न्या०-प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश